प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं के परीक्षण से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रतिवेदन के क्रमश: अध्याय I एवं II में अंतर्विष्ट हैं।

3. ''वित्तीय प्रतिवेदन करने'' पर अध्याय III 2010-11 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति दर्शाता है।